

FORM No. III

फर्द अहकाम





(नियम 26)

अज अदालत मुकाम

..... बनाम

करम मुकदमा नं० सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
04.06.2019	वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल. आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र कमांक/बीआर/एलआर/NLRMP/ एफ.126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो	
18.06.2019	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली में सगढ़ शहरखातेदार उप० नही आने से पत्रावली अब कोर्ट केम्प नेंदवाई दिनांक 27.06.19 - को पेश हो।	<p>अजमेर</p> <p>गोदमल</p> <p>अ.वि. हेमाराभा बलार</p>
27.06.2019	पत्रावली आज कोर्ट केम्प नेंदवाई पर रखी गई। बादी पैरोकार तहसीलदार तथा प्रतिवादीगण उप० आए। सम्मन प्रतिवादीगण को दावापत्रावली में मौजा आम्ला आ.न.628 एका 0-69 हेक्टे. भूमि में शहरखातेदारों का हिस्सा घोषणा किये जाने के संबंध में जानकारी दी गई। सह-खातेदारों के द्वारा बताये राजरानुसार आराजी में हिस्से की घोषणा किये जाने के संबंध में आपसी सहमती होने से सहमतीरूप स्थापार - कराये गए।	<p>रायनारायण</p> <p>कन्हैयालाल जगनी</p> <p>अपरमाम हीमाना</p> <p>नी बाला</p> <p>अ.वि. शंकरा</p>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व जो इस हुक्म में जारी हुए
	<p>डिक्री की प्रति राजस्व रेकार्ड में दिखाने के करने हेतु तहसीलदार बेगम को सिजवायी जावे। प्रजावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर के कम हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक सत्राधिकारी (अपराध अधिका) बेगम (तहसीलदार) </p>	<p>  अ. वि. पी. पी. </p> <p>  अ. वि. पी. पी. </p> <p>  अ. वि. पी. पी. </p> <p> अ. वि. पी. पी. मागीबाई पिराज </p> <p> नाता उष्यलाम पारा </p>



न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेरौ जिला चित्तौडगढ़ (राजो)
संख्या : 55/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेरौ तहसील बेरौ जिला चित्तौडगढ़
वादी

बनाम

1. नन्दलाल पिता खेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
2. सत्यनारायण पिता खेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
3. एजनबाई पिता खेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
4. हेमा पिता रामा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
5. गेन्दमल पिता रामा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
6. मांगीबाई पिता रामा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
7. घीसालाल पिता कन्हैयोलाल (माता हगामबाई) बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
8. हरलाल पिता कन्हैयोलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
9. नन्दूबाई पिता कन्हैयोलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
10. प्यारचन्द पिता जोधा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
11. देवीलाल पिता जोधा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
12. कस्तूरी पिता जोधा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
13. घीसीबाई पिता जोधा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
14. गोपी पिता दोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
15. लादू पिता दोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
16. नाराण पिता कालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
17. मांगीलाल पिता चुन्नीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
18. सुन्दरबाई पत्नि चुन्नीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
19. नाना पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
20. बगदीचंद पिता खेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
21. ठाकुरलाल पिता खेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
22. पप्पुबाई पिता खेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
23. प्यारीबाई पत्नि स्व. खेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
24. घीसालाल पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
25. सन्तोष कुमार पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
26. भंवरीबाई पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
27. लाडबाई पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
28. राधाबाई पिता कन्हैयोलाल (माता डालीबाई) बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
29. जमनाबाई पिता कन्हैयोलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
30. रामपाली पिता कन्हैयोलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
31. बालीबाई पत्नि स्व. मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
32. हजारी पिता देवा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
33. रतनलाल पिता देवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
34. रेखा पिता देवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
35. रेणा पिता देवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
36. लीलाबाई पत्नि स्व. देवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
37. सोहनीबाई पत्नि स्व. कूका बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
38. भंवरलाल पिता भवाना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
39. सायरीबाई पिता भवाना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
40. घीसीबाई पत्नि स्व. भवाना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
41. काना पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
42. नंदा पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
43. काना पिता सुरजिया बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
44. घीसी पिता मोडा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
45. धापू पिता मोडा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ
46. गटू पिता मोडा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौ

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेरौ (चित्तौडगढ़)

47. काश्या पिता मूला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
48. भंवरलाल पिता भवाना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
49. शंकर पिता उँकार बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
50. प्रकाश पिता उँकार बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
51. प्यारा पिता चमना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
52. उदा पिता चमना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
53. मांगीबाई पिता चमना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू

उपस्थित : तहसीलदार, बेगू
पैरोकार वादी

प्रतिवादीगण सं. 1से 53

प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगू द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश/परिपत्र/कमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल. आर.एम.पी./एफ-126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 18.06.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली को आगामी पेशी 27.06.2019 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगू द्वारा उनके पत्रांक 855 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम आमल्दा के खाता संख्या 37 सं. 2071-74 आराजी नं. 628 रकबा 0.69 हैक्टर, नंदलाल सत्यनारायण वगै. संलग्न जमाबंद व पटवारी रिपोर्ट अनुसार के नाम होकर उक्तखाते में खातेदारों के हिस्से दर्ज नहीं है तथा जाँच से भी हिस्सों की जानकारी नहीं हो पाई है। सेटलमेन्ट रिकार्ड में भी हिस्से दर्ज नहीं है।

अतःसरकार का कार्यक्रम DILRMP के तहत खातों के हिस्से डालकर उन्हें ऑनलाईन किया जाना आवश्यक है। सरकार के आदेश कमांक 10164-96 के तहत उनके हिस्से करना आवश्यक होने के कारण आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 सह एल आर.एक्ट 136 के तहत घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण जरिये नोटिस तलब किया जाकर लोक अदालत कैम्प ग्राम नंदवाई पर दिनांक 27.06.2019 को रखाया गया, पत्रावली में समस्त प्रतिवादीगण उक्त तारीख पर उपस्थित आए जिन्हें कैम्प कोर्ट में सुना गया, प्रतिवादीगण उपस्थित पक्षकारों ने बताया कि वाद वर्णित भूमि ग्राम आमलदा की आराजी नं. 628 रकबा 0.639 हैक्टर सेटलमेन्ट से पूर्व किशना के तीन पुत्रों भोला कालु लालु के नाम पर अलग आराजी थी एवं वेणा के तीन पुत्रों धन्ना गोकल गुला के वारिसान के नाम अलग आराजी थी जिन्हें सेटलमेन्ट विभाग द्वारा एक कर दिया तथा खाता शामिल कर दिया। रकबा समान होने से किशना के वारिसान का 1/2 व वेणा के वारिसान का 1/2 हिस्सा बनता है। आगे विरासत की कार्यवाही से वर्तमान खाता

सहायक जज
(उपस्थित अधिकारी)

दर्ज है। मौके पर सजरा बनाया गया। भोला कालु लालु पिता किशना का प्रत्येक का 1/6-1/6-1/6 हिस्सा एवं धन्ना गोकल गुला का 1/6-1/6-1/6 अनुसार वारिसानो के हिस्से सजरा अनुसार घोषित किये जाने पर पक्षकार सहमत है। रेकार्ड का अवलोकन किया गया सेटलमेन्ट मे उक्त खाता भोला कालु लालु पिता किशना, देवा वल्द धन्ना, काना वल्द सुरजा बालु मोडा कास्या उँकार पिता गुला चमना वल्द गोपाल बलाई साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। पत्रावली में शामिल रेकार्ड अनुसार आराजी नम्बर 628 रकबा 0.69 हैक्टर सेटलमेन्ट से पूर्व गत आराजी नम्बर 219 रकबा 0.64 एकड एवं 222 रकबा 0.62 एकड से हाल खसरा नम्बर बना है। गत आराजी नम्बर 219 भोला लालु कालु पिता किशना बलाई सा.देह हि.ब. एवं गत आराजी नम्बर 222 रकबा 0.22 देवा पिता धन्ना काना पिता सुरजिया बालु मोडा कास्या उँकार पिता गुला, चमना पिता गोपाल बलाई साकिन देह हि.ब. खातेदार के नाम दर्ज था। नकल मिलान खसरा मुताबिक गत आराजी नम्बर 219 रकबा 0.64 एवं 222 रकबा 0.62 एकड से हाल आराजी नम्बर 628 रकबा 0.69 हैक्टर बना है। हाल रेकार्ड में गत दोनो आराजी को शामिल कर खातेदारो का खाता एक कर दिया है। गत आराजी नम्बर 219 एवं 222 का रकबा लगभग समान होने से भोला लाला कालु पिता किशना हिस्सा 1/2 एवं देवा वल्द धन्ना काना वगैरा का हिस्सा 1/2 हाल आराजी नम्बर 628 रकबा 0.69 हैक्टर मे घोषित किया जाना उचित है। विरासत की नामान्तरण कार्यवाही होने से खाता वर्तमान में दर्ज है जो सजरा अनुसार है। सजरा मं खातेदारो के विरासत अनुसार हिस्से दर्शाकर उपस्थित पक्षकारो के सहमती स्वरूप हस्ताक्षर कराये गए।


अतः मजमेआम में की गई जानकारी रेकार्ड अनुसार एवं खातेदार पक्षकारो की सहमती से मौजा आमल्दा के खाता संख्या 37 सं. 2071 से 74 आराजी नम्बर 628 रकबा 0.69 हैक्टर निम्नानुसार हिस्से की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा के खाता संख्या 37 सं. 2071 से 74 में आराजी संख्या 628 रकबा 0.69 हैक्टर भूमि में श्री नंदलाल सत्यनारायण एजनबाई पिता खेमा हि.ब. 1/90, हेमा पिता रामा 1/90, गेन्दमल पिता रामा 1/90, मांगीबाई पुत्री रामा 1/90, घीसालाल हरलाल नन्दूबाई पिता कन्हैयोलाल माता हगामबाई हि.ब. 1/90, प्यारचन्द देवीलाल कस्तुरी घीसीबाई पिता जोधा हि.ब. 1/18, गोपी लादू पिता दौला हि.ब. 1/18, नाराण पिता कालु 1/6, मांगीलाल पिता चुन्नीलाल सुन्दरबाई पत्नि स्व. चुन्नीलाल हि.ब. 1/18, नाना पिता लालु 1/18, बगदीचंद ठाकुरलाल पप्पुबाई पिता खेमा प्यारीबाई पत्नि स्व. खेमा हिस्सा बराबर 1/18, घीसालाल संतोषकुमार भंवरीबाई ठेकूबाई लाडबाई पिता मांगीलाल, बालीबाई पत्नि स्व. मांगीलाल हि.ब. 6/252, राधाबाई जमनाबाई रामपाली पिता कन्हैयोलाल माता डालीबाई, रामपाली ना.बा. सरपरस्त मौसी ठेकूबाई हिस्सा बराबर 1/252, रतनलाल रेखा रेणा पिता देवीलाल लीलाबाई पत्नि स्व. देवीलाल हि.ब. 1/72, सोहनीबाई पत्नि स्व. कूका 1/72 हजारी पिता देवा 1/36, भंवरलाल सायरीबाई पिता भुवाना घीसीबाई पत्नि स्व. भवाना हि.ब. 1/72, काना पिता बालु 1/72 नन्दा पिता बालु 1/72, काना पिता सुरजा 1/12, घीसी

अध्यापक (अध्यापक)
देवी (विश्वविद्यालय)

धापू सुडी गटु पिता मोडा हि.ब. 1/24 काश्या पिता मूला 1/24, शंकर पिता उँकार 1/72 प्रकाश पिता उँकार 1/72 भंवरलाल पिता भुवाना 1/72, प्यारा उदा मांगीबाई पिता चमना हि.ब. 1/6 बलाई साकिन देह खातेदार रहन बदस्तूर दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

 27/6/19
(रमेश चंद्र की गुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपनिर्देशाधिकारी)
बेगू जिला, बिचौली



मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)
संख्या : 55/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगू तहसील बेगू जिला चित्तौड़गढ़

वादी

बनाम

1. नन्दलाल पिता खेमा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
2. सत्यनारायण पिता खेमा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
3. एजनबाई पिता खेमा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
4. हेमा पिता रामा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
5. गेन्दमल पिता रामा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
6. मांगीबाई पिता रामा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
7. घीसालाल पिता कन्हैयॉलाल (माता हगामबाई) बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
8. हरलाल पिता कन्हैयॉलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
9. नन्दूबाई पिता कन्हैयॉलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
10. प्यारचन्द पिता जोधा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
11. देवीलाल पिता जोधा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
12. कस्तूरी पिता जोधा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
13. घीसीबाई पिता जोधा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
14. गोपी पिता दोला बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
15. लादू पिता दोला बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
16. नाराण पिता कालू बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
17. मांगीलाल पिता चुन्नीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
18. सुन्दरबाई पत्नि चुन्नीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
19. नाना पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
20. बगदीचंद पिता खेमा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
21. ठाकुरलाल पिता खेमा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
22. पप्पुबाई पिता खेमा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
23. प्यारीबाई पत्नि स्व. खेमा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
24. घीसालाल पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
25. सन्तोष कुमार पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
26. भंवरबाई पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
27. लाडबाई पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
28. राधाबाई पिता कन्हैयॉलाल(माता डालीबाई) बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
29. जमनाबाई पिता कन्हैयॉलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
30. रामपाली पिता कन्हैयॉलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
31. बालीबाई पत्नि स्व. मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
32. हजारी पिता देवा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
33. रतनलाल पिता देवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
34. रेखा पिता देवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
35. रेणा पिता देवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
36. लीलाबाई पत्नि स्व. देवीलाल बलाई बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
37. सोहनीबाई पत्नि स्व. कूका बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
38. भंवरलाल पिता भवाना बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
39. सायरीबाई पिता भवाना बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
40. घीसीबाई पत्नि स्व. भवाना बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
41. काना पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
42. नंदा पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
43. काना पिता सुरजिया बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
44. घीसी पिता मोडा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
45. धापू पिता मोडा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
46. गदू पिता मोडा बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
47. काश्या पिता मूला बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू

न्यायालय सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौड़गढ़) -----लगातार

48. भंवरलाल पिता भवना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
49. शंकर पिता उँकार बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
50. प्रकाश पिता उँकार बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
51. प्यारा पिता चमना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
52. उदा पिता चमना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
53. मांगीबाई पिता चमना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 27.06.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश चन्द्र सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा के खाता संख्या 37 सं. 2071 से 74 में आराजी संख्या 628 रकबा 0. 69 हैक्टर भूमि में श्री नंदलाल सत्यनारायण एजनबाई पिता खेमा हि.ब. 1/90, हेमा पिता रामा 1/90, गेन्दमल पिता रामा 1/90, मांगीबाई पुत्री रामा 1/90, घीसालाल हरलाल नन्दूबाई पिता कन्हैयॉलाल माता हगामबाई हि.ब. 1/90, प्यारचन्द देवीलाल कस्तुरी घीसीबाई पिता जोधा हि.ब. 1/18, गोपी लादू पिता दौला हि.ब. 1/18, नाराण पिता कालु 1/6, मांगीलाल पिता चुन्नीलाल सुन्दरबाई पत्नि स्व. चुन्नीलाल हि.ब. 1/18, नाना पिता लालु 1/18, बगदीचंद ठाकुरलाल पप्पुबाई पिता खेमा प्यारीबाई पत्नि स्व. खेमा हिस्सा बराबर 1/18, घीसालाल संतोषकुमार भंवरीबाई ठेकूबाई लाडबाई पिता मांगीलाल, बालीबाई पत्नि स्व. मांगीलाल हि.ब. 6/252, राधाबाई जमनाबाई रामपाली पिता कन्हैयॉलाल माता डालीबाई, रामपाली ना.बा.सरपरस्त मौसी ठेकूबाई हिस्सा बराबर 1/252, रतनलाल, रेखा, रेणा पिता देवीलाल लीलाबाई पत्नि स्व.देवीलाल हि.ब. 1/72, सोहनीबाई पत्नि स्व. कूका 1/72 हजारी पिता देवा 1/36, भंवरलाल सायरीबाई पिता भुवाना घीसीबाई पत्नि स्व. भवना हि.ब. 1/72, काना पिता बालु 1/72 नन्दा पिता बालु 1/72, काना पिता सुरजा 1/12, घीसी धापू सुडी गटु पिता मोडा हि.ब. 1/24 काश्या पिता मूला 1/24, शंकर पिता उँकार 1/72 प्रकाश पिता उँकार 1/72 भंवरलाल पिता भुवाना 1/72, प्यारा उदा मांगीबाई पिता चमना हि.ब. 1/6 बलाई साकिन देह खातेदार रहन बदस्तूर दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।



(रमेश चन्द्र सीरवी पुनाडिया)
सहायक उपखण्ड अधिकारी
बेगू जिला, बिहार

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगू को पालनार्थ प्रस्तुत है।